न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—131 / 2015 / 223 (2015 / 00013)

1. श्रीमती धापू पुत्री स्व0 मोहनलाल पत्नी घीसालाल, जाति हिन्दू दमामी (ढोली), नि0 ग्राम मण्डा, तह0 केकड़ी जिला अजमेर हाल नि0 तेलाड़ा, तह0 भिनाय, जिला अजमेर ।
2. श्रीमती कैलाश पुत्री स्व0 मोहनलाल पत्नी दुर्गालाल, जाति हिन्दू दमामी, (ढोली), नि0 ग्राम मण्डा, तह0 केकड़ी जिला अजमेर हाल नि0 डोटा, तह0 आसीन्द, जिला भीलवाड़ा ।

अपीलांटस

बनाम

1. रंगलाल पुत्र सुखलाल, जाति मीणा,
2. नारायण पुत्र रामचन्द्र, जाति मीणा,
3. रामधन पुत्र मदनलाल, जाति दरोगा,
4. पप्पू पुत्र मदनलाल, जाति दरोगा,
5. घीसालाल पुत्र मोहन, जाति दरोगा,
6. सीताराम दत्तक पुत्र सोहनलाल, जाति दरोगा,
7. नन्द पुत्र गीला, जाति दरोगा,
   समस्त निवासी ग्राम मण्डा, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।
8. रतन पुत्र मोहनलाल, जाति हिन्दू दमामी (ढोली) नि0 मण्डा, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।
9. श्रीमती प्रेम पुत्री स्व0 मोहनलाल, जाति हिन्दू दमामी (ढोली),
10. बिरदीचन्द पुत्र बाबूलाल माता जसोदा, देवी जाति हिन्दू दमामी (ढोली), निवासी ग्राम मण्डा, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर
11. महेन्द्र पुत्र बाबूलाल, जाति दमामी,
12. मुरली पुत्र बाबूलाल, जाति दमामी,
13. श्रीमती लाली पुत्री बाबूलाल पत्नी चांदमल, जाति दमामी, नि0 नयातालाब, तह0 गंगरार, जिला चित्तोड़गढ़ ।
14. श्रीमती शेरू पुत्री बाबूलाल पत्नी कन्हैयालाल, जाति दमामी, नि0 सुरजना, तहसील चित्तोड़गढ़, जिला चित्तोड़गढ़ ।
15. तहसीलदार, केकड़ी, जिला अजमेर ।
16. उप पंजीयक, केकड़ी, जिला अजमेर

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी दिनांक 8.4.2015 अंतर्गत राजस्व वाद संख्या 163 / 2014.

उपस्थितः—

1. श्री राकेश अरोड़ा, वकील अपीलांटस ।
2. श्री दिनेश कुमार, वकील रेस्पो0 संख्या 1 .
3. श्री पुरूषोतक शर्मा, वकील रेस्पो संख्या 8 से 14.
4. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पोडेंट संख्या 15 व 16..

निर्णय

दिनांकः—31.12.2018

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय व डिक्री दिनांक 8.4.2015 के विरूद्ध प्राप्त हुई है ।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांटस ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 188 व 209 राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात खसरा नंबर 464, 465, 150, 13, 14 जिसके हाल खसरा नंबर 802, 817, 522, 155, 156 बने है वाके ग्राम मण्डा, तह0 केकड़ी में अवस्थित है जो अपीलांटस एवं रेस्पो0 संख्या 8 लगायत 14 के पिता नाना मोहनलाल व काका बजरंगलाल, मोडू पि0 रामबक्श के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजियात रही है जिनकी मृत्यु के उपरांत अवेधानिक रूप से अकेले रेस्पो0 संख्या 8 रतनलाल के नाम दर्ज हो गई। इसी प्रकार साबिक आराजियात खसरा नबंर 13 व 14 भी जमाबंदी संवत् 2023 से 2028 में मोहनलाल, बजरंगलाल, मोडू पि0 रामबक्श दमामी के नाम दर्ज थी । मोडू लाऔलाद फौत होने से स्वंय के जीवनकाल में ही गोपाल पुत्र मोहन को गोद ल लिया था जिसे मोडू की मृत्यु उपरांत गोपाल के नाम उक्त आराजियात दर्ज हो गई । गोपाल के लाऔलाद अविवाहित फौत होने से उसकी सम्पति मोहन व बजरंग में निहत हो गई । तत्पश्चात् बजरंग के लाऔलाद फौत होने के उपरांत उपरोक्त संपूर्ण आराजियात मोहनलाल पुत्र रामबक्श में निहित हो गई। अपीलांटस की मृत्यु के पश्चात् साबिक खसरा नंबर 14 गलत व अवैध तरीके से मदनलाल, मोहनलाल, सोहनलाल व नन्दलाल दरोगा के नाम दर्ज हो गई तत्पश्चात् वर्किंग जमाबंदी में रेस्पो0 संख्या 3 लगायत 7 के नाम दर्ज हो गई जबकि वादग्रस्त आराजियात पर अपीलांटस एवं रेस्पो0 संख्या 8 लगायत 14 के पिता मोहनलाल की मृत्यु उपरांत एकमात्र वादगस्त आराजियात पर अपीलांटस एवं रेस्पो0 काबिज काश्त चले आ रहे है । आराजियात खसरा नंबर 150, 464 465 मोहनलाल की मृत्यु उपरांत अकेले रेस्पो0 संख्या 8 के नाम दर्ज हो गई है जबकि उक्त पुश्तैनी आराजियात में 1/5, 1/5 हिस्सा अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 8 लगायत 14 का निहित है । रेस्पो0 संख्या 8 द्वारा अवैधानिक रूप से साबिक खसरा नंबर 464 व 465 को रेस्पो0 संख्या 1 को विक्रय कर दिया एवं साबिक खसरा नंबर 150 को नन्दा वल्द रामचंद्र को विक्रय कर दिया गया है जबकि अवैधानिक इंद्राज के आधार पर एकमात्र रेस्पो0 संख्या 8 को वादग्रस्त आराजियात को विक्रय किये जाने का अधिकार नहीं था । अपीलांटस व रेस्पो0 संख्या 8 लगायत 14 जो कि दमामी जाति के होकर अनुसूचित जाति के व्यक्ति है, जिनकी आराजियात का बेचान गैर अनुसूचित जाति के पक्ष में नहीं हो सकता है । अतः उक्त आधारों पर निष्पादित विक्रय पत्र शून्य दस्तावेज है अतः वाद वादीगण स्वीकार कर अपीलांटस/वादीगण को 1/5, 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में नाम अंकन किया जावे एवं वादग्रस्त आराजियात का विभाजन किया जाकर जरिये स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की जावे ।

3. उक्त वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना पत्र अंतर्गत 7 नियम 11 जा0दी0 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय की है एवं अपीलांटस का वादगस्त आराजियात पर कब्जा काश्त नहीं है । आराजी खसरा नंबर 14 का संपूर्ण रकबा वर्ष 1974 में रेस्पो0 संख्या 3 से 7 से क्रय किया है एवं खसरा नंबर 464 व 465 की आराजियात वर्ष 1988 में क्रय की है । इसी प्रकार खसरा नंबर 150 की आराजी रेस्पो0

संख्या 2 द्वारा क्रय की गई है जिसके आधार पर नामांतकरण स्वीकृत किये गये है जिनके विरूद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की जाकर घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया है जो कि चलने योग्य नहीं है एवं रेस्पो0 संख्या 1 से 7 के हक में वादग्रस्त आराजियात बाबत् पंजीकृत विक्रय पत्र सिविल न्यायालय से निरस्त कराया जाना आवश्यक है । वादपत्र सिविल न्यायालय के श्रवणाधिकार में होने से कानूनन निरस्त योग्य है । अधी0न्याया0 ने वाद एवं प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णय दिनांक 8.4.2015 द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 से 7 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वादीगण/अपीलांटस का वाद निरस्त करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायलय में प्रस्तुत की है ।

4. अपील दर्ज रजिस्ट की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 7 अनुपस्थित । रेस्पो0 संख्या 1 एवं 8 लगायत 14 उपस्थित। अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में अपीलांटस एवं रेस्पो0 के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात खसरा नंबर 464, 465, 150, 13, 14 जिसके हाल खसरा नंबर 802, 817, 522, 155, 156 बने है। उक्त आराजियात अपीलांटस एवं रेस्पो0 संख्या 8 लगायत 14 के पिता नाना मोहनलाल व काका बजरंगलाल, मोडू पि0 रामबक्श के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात रही है जिनकी मृत्यु उपरांत अवैधानिक रूप से अकेले रेस्पो0 संख्या 8 रतनलाल के नाम दर्ज हो गई। इसी प्रकार साबिक आराजियात खसरा नंबर 13. व 14 भी जमाबंदी संवत् 2023 से 2028 में मोहनलाल, बजरंगलाल, मोडू पि0 रामबक्श दमामी के नाम दर्ज थी । मोडू के लाऔलाद फौत होने से स्वंय के जीवनकाल मे ही गोपाल पुत्र मोहन को गोद लिया था तथा मोडू के फौत होने से उसकी सम्पति गोपाल के नाम दर्ज हो गई । गोपाल के अविवाहित लाऔलाद फौत होने पर उसकी सम्पति मोहन व बजरंग में निहित हो गई । तत्पश्चात् बजरंग के लाऔलाद फौत होने से उपरोक्त संपूर्ण आराजियात मोहनलाल पुत्र रामबक्श में निहित हो गई । अपीलांटस की मृत्यु के पश्चात् साबिक खसरा नंबर 14 गलत व अवेध तरीके से मदनलाल, मोहनलाल, सोहनलाल व नंदलाल दरोगा के नाम दर्ज हो गये तत्पश्चात् वर्गिक जमाबंदी में रेस्पो0 संख्या 3 लगायत 7 के नाम दर्ज हो गई है जबकि वादग्रस्त आराजियात पर अपीलांटस व रेस्पो0 संख्या 8 लगायत 14 के पिता मोहनलाल की मृत्यु उपरांत एकमात्र वारिस अपीलांटस व रेस्पो0 काबिज काश्त चले आ रहे है । आराजियात खसरा नंबर 150, 464, 465 मोहनलाल की मृत्यु के उपरांत व बजरंगलाल की मृत्यु के उपरांत अकेले रेस्पो0 संख्या 8 के नाम दर्ज हो गई है जबकि उक्त पुश्तैनी आराजियात में 1/5, 1/5 हिस्सा अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 8 लगायत 14 का है । उक्त आराजियात बाबत् अवैधानिक रूप से विक्रय पत्र रेस्पो0 संख्या 8 द्वारा निष्पादित किया गया है जो कि प्रथमदृष्टा शून्य दस्तावेज है एवं अपीलांटस के हक व अधिकारों के विपरीत होने से शून्य घोषित किये जाने योग्य है । विचारण न्यायालय के समक्ष स्वंय की पैतृक सम्पति की खातेदारी घोषणा हेतु राजस्व वाद प्रस्तुत किाय गया है जिसे सुनवाई का एकमात्र क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय का है । अधी0न्याया0 ने उक्त संदर्भ में वैधानिक प्रावधान के विपरीत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर अपीलांटस का वाद निरस्त करने में विधिक त्रुटि कारित की है । इस संबंध में विद्वान वकील अपीलांटस ने आर0बी0जे0 2005 पेज 4 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे

बढ़ाते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद को नामांतकरण की अपील प्रस्तुत किये जाने एवं सिविल न्यायालय को विक्रय पत्र को शून्य घोषित करने का क्षैत्राधिकार होने के आधार पर क्षैत्राधिकार के अभाव में प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वाद निरस्त किया है जबकि माननीय न्यायालय द्वारा उक्त संदर्भ में प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों के अनुसरण में आदेश 7 नियम 11 के तहत वाद एकमात्र विधि द्वारा विबंधित होने के आधार पर पर ही निरस्त किया जा सकता है । क्षैत्राधिकार का बिन्दु एवं तथ्य विधि का मिश्रित प्रश्न है जिसे बिना साक्ष्य के एवं तनकियात कायम किय निस्तारण किया जाना न्यायोचित नहीं है । अधी0न्याया0 ने वादीगण/अपीलांटस के वाद को बिना दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किये केवल मात्र क्षैत्राधिकार के आधार पर खारिज किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है। अधी0न्याया0 को इस संबंध में तनकीयात कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये था । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में यह भी कथन किया कि अपीलांटस अनुसूचित जाति के व्यक्ति है एवं जिनकी पैतृक खातेदारी की आराजियात जिसका बैचान स्वर्ण जाति के व्यक्ति को नहीं हो सकता है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किया जावे तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद विधिवत् रूप से सुनवाई हेतु अधी0न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 14 संपूर्ण रकबा वर्ष 1974 में प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 7 ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया तथा वर्ष 1988 में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा खसरा नंबर 464, 465 की संपूर्ण आराजी व खसरा नंबर 150 नंदा, नारायण पुत्र रामचंद्र मीणा द्वारा खरीदा गया है जिसका नामांतकरण प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 7 के नाम नामांतकरण उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के आदेश दिनांक 11.12.1974 व 20.7.1975 के आधार पर अंकन स्वीकार किया गया है । रेस्पो0 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्रों को निरस्त का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होने से अधी0न्याया0ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वादीगण/अपीलांटस का वाद निरस्त किया है जो विधिसम्मत् है । अपीलांटस पंजीकृत विक्रयपत्रों को निरस्त कराये बिना किसी प्रकार कर अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकते है। अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद घारा 53, 88, 188 व 209 राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश कर विवादित आराजियात में अपीलांटस एवं रेस्पो0 संख्या 8 से 14 का 1/5, 1/5 हिस्सा होने का कथन कर पैतृक सम्पति होने का कथन किया है । अधी0न्याया0 ने वादीगण का वाद रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 7 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर क्षैत्राधिकार योग्य नहीं होने से वादीगण का वाद खारिज किया है । इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण/अपीलांटस ने विवादित आराजियात पैतृक सम्पति होना कहकर वाद प्रस्तुत किया है जबकि अधी0न्याया0 ने वाद इस आधार पर खारिज किया है कि वादीगण रेस्पो0 संख्या 1 से 7 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र को राजस्व न्यायालय को निरस्त किये जाने का अधिकार नहीं होने के आधार पर

निरस्त किया है । अधी0न्याया0 ने जिस आधार पर वादीगण का वाद निरस्त किया है उस संबंध में अधी0न्याया0 को तनकीयात कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में यह कहीं भी अंकित नहीं किया है कि रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 किन प्रावधानों के तहत स्वीकार किया है । वादीगण/अपीलांटस द्वारा खातेदार घोषणा एवं बंटवारे का वाद प्रस्तुत किया गया है जिसमें अधी0न्याया0 को प्रतिवादीगण से जवाबदावा प्राप्त कर जो ऐतराज प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 में उठाये है, के संबंध में तनयिकात कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर विधिक त्रुटि कारित की है जिससे अधी0न्याया0 के निर्णय को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 8.4.2015 अपास्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 8.4.2015 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में आवश्यक तनकियात कायम उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 31.12.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर